कार्यालय अधिशासी अभियंता, नल कूप खंड, रामनगर नैनीताल के माह 08/2013 से 08/2016 तक के अवधि की लेखा अभिलेखों पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 13 के अधीन सर्व श्री आर०एन० यादव, श्री डी०के०मट्टू, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री अंकित पाण्डेय लेखा परीक्षक द्वारा 14/09/2016 से 22/09/2016 तक में सम्पन्न लेखापरीक्षा का लेखापरीक्षण निरीक्षण प्रतिवेदन।

यह निरीक्षण **कार्यालय अधिशासी अभियंता, नल कूप खंड, रामनगर नैनीताल** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिये कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-प्रथम

प्रस्तावनाः-

1. इस खण्ड की विगत लेखापरीक्षा श्री भीम सेन सिंह, श्री दीपक मालवीय एवं श्री राजेश कुमार सिन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारीयों द्वारा दिनांक 20-08-2013 से 25-03-2013 तक में सम्पन्न हुयी थी, जिसमें खण्ड के माह 08/2011 से 07/2013 तक के लेखाभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2013 से 08/2016 तक के लेखाभिलेखों की सामान्यतः जांच की गयी।
2. विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित अधिशासी अभियंता खण्ड मे कार्यरत रहें।
   I. श्री नरेंद्र सिंह देउपा, (विगत लेखा परीक्षा से 12/08/2014 तक)
   II. श्री संजय कुशवाहा , 12/08/2014 से वर्तमान तक

   विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से सम्बद्ध रहेः-

   I. श्री सुनील कुमार (विगत लेखा परीक्षा से 07/2015 तक)
   II. श्री विष्णु विकास गुप्ता, (20/07/2015 से वर्तमान तक)
3. अधीक्षण अभियंता ने खंड का गत संप्रेक्षा से अब तक की अवधि के दौरान का निरीक्षण। 06/01/15 से 07/01/2015
4. खण्ड के भण्डार तथा यंत्र संयत्र लेखों की अर्द्धवार्षिक/वार्षिक बन्दी क्रमशः माह -09/2015 एवं 09/2015 में हुयी।
5. फार्म 51: माह 08/2016 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथम – Nil
   भाग द्वितीय – ` 6525.00

7. खण्ड के उच्चन्त लेखों के अवशेष माह 08/2016 के अन्त में
   (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ` शून्य
   (ख) सामग्री क्रय ` शून्य
   (ग) नकद परिशोधन ` शून्य
   (घ) निक्षेप ` 7,71,335.00

8. पुरानी लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनिस्तारित कण्डिकाओं की स्थिति निम्नवत् थीः-

क्र.सं.	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं./वर्ष	अनिस्तारित कण्डिकाएं	
		भाग दो 'अ'	भाग दो 'ब'
1	33/2011-12	1	2,3

2	32/2013-14	-	1

6. अप्रस्तुत अभिलेखः- शून्य

7. सतत अनियमिततायेः- शून्य

8. संप्रेक्षित अवधि में मुख्य लेखा शीर्षों में आवंटन एवं व्यय की स्थिति

वित्तीय वर्ष	लेखा शीर्ष	आयोजनागत	
		कुल आंवटन (` लाख में)	कुल व्यय (` लाख में)
2013-14	2702,4700	1778.58	1778.58
2014-15	2702,4700	1807.53	1807.53
2015-16	2702,4700	1351.45	1351.45
2016-17 (up to 08/2016)	2702,4700	327.67	315.18

भाग- 2 (ब)

प्रस्तर: 1- भंडार के लाभांश ` 294.90 लाख को राजस्व में जमा न किया जाना।

खंड में कार्यों के निष्पादन हेतु सामग्रियों क्रय करके विभागीय भंडार में रखे जाते हैं, तदोपरांत समय-समय पर आवश्कतानुसार सामग्री निर्गत की जाती हैं। भंडार का प्रत्येक छमाही (सितंबर एवं मार्च) में लेखाबन्दी करके भंडार (stock) सामग्रियों की स्थिति के अनुसार उनके वर्तमान निर्गत दर के मूल्य (Value at Current issue rate) तथा पुस्तकीय मूल्य (Book value) के आधार पर यथास्थिति लाभांश (surplus) अथवा हानि (Deficit) ज्ञात की जाती हैं।

अधिशासी अभियंता, नल कूप खंड, रामनगर नैनीताल के अभिलेखों की नमूना जांच (माह 09/2016) में पाया गया कि खंड द्वारा स्टाक पंजिका की अर्धवार्षिक बंदी माह 09/2015 तक की गयी थी जिसके पार्ट-II General Abstract के अनुसार सामग्रियों की Book Value `(-)3338426.00 तथा Value of current issue rates ` 26152411.60 था। इस प्रकार स्टाक लाभांश (surplus) ` 29490837.60 {(26152411- (-3338426.00)} हो रहा था, जिसे राजस्व शीर्ष में जमा करते हुये समायोजित नहीं किया गया था।

उक्त के संदर्भ में इंगित किये जाने पर खंड ने तथ्यों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया कि स्टाक का काफी समान जो विभिन्न फर्मों/ठेकेदार से आपूर्ति आदेश एवं अनुबंधों के विरुद्ध खरीदा गया था तथा वह उस समय तक भंडार में प्राप्त कर लिया गया था परन्तु उस समय तक उनका भुगतान कतिपय कारणो से नहीं हो पाया था। इस खंड का सृजन वर्ष 2006 में हुआ था तथा यह खंड यांत्रिक खंड होने के कारण इस खंड में छिद्रण की मशीनों के साथ काफी मात्रा m.s. केसिंग पाईप प्रारम्भ में कतिपय कारणो से स्टोर उच्चन्त खाते में ले लिया गया था। चूंकि वर्तमान में उन मशीनों द्वारा छिद्रण न होने के कारण यह m.s. केसिंग पाईप T&P का हिस्सा होने के बावजूद स्टाक में रह गए। इसके अतिरिक्त गत वर्षों में कम कीमत पर खरीदा गया स्टाक वर्तमान कीमत पर मूल्यांकित किया गया हैं, जो स्टाक लाभांश को अधिक

दिखाता हैं। वास्तविक लाभांश राजस्व शीर्ष में जमा करने हेतु साख-सीमा उपलब्ध होने पर कार्यवाही की जाएगी। इस प्रकार खंड के उत्तर से स्वंय लेखापरीक्षा आपत्ति अर्थात भंडार के लाभांश को राजस्व शीर्ष में जमा नहीं किये जाने की पुष्टि होती हैं।

इस प्रकार खंड द्वारा भंडार के लाभांश ` 294.90 लाख को राजस्व शीर्ष में जमा नहीं किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तर:1 निक्षेप मद में प्राप्त ` 6.17 लाख की धनराशि विगत 4 वर्षो से अधिक समय से अवरुद्ध रखना।

अधिशासी अभियंता, नल कूप खंड, रामनगर नैनीताल के अभिलेखों की नमूना जांच (माह 09/2016) में पाया गया कि निक्षेप पंजिका वर्ष 2016-17 के माह 08/2016 तक बंदी (closing) की गयी थी, जिसके अनुसार निक्षेप भाग-III में कुल ` 698612.00 की निक्षेपित धनराशि असमायोजित/लम्बित पड़ी हुई थी। उक्त में से ` 4,22,000.00 की निक्षेपित धनराशि T.S.P (LIS) जिला योजना निक्षेप कार्य के लिए माह 03/2012 में खंड को प्राप्त हुई थी तथा ` 1,95,000.00 की निक्षेपित धनराशि T.S.P (TW) जिला योजना निक्षेप कार्य की लिए माह 03/2012 में खंड को प्राप्त हुई थी। परन्तु उक्त दोनों निक्षेप कार्य योजना के लिए प्राप्त कुल निक्षेपित धनराशि `6,17,000.00 (` 4,22,000.00 +` 1,95,000.00) विगत 4 वर्षो से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी लेखापरीक्षा तिथि तक कार्य निष्पादित नहीं कराये जाने के कारण अवरुद्ध पड़ी हुई थी।

उक्त के संदर्भ में इंगित किए जाने पर खंड ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए अवगत कराया कि इस खंड में 2011-12 में TSP मद कि कोई योजना न होने के कारण ` 6,17,000.00 अनिस्तारित हैं, इनके समर्पण/मार्ग दर्शन हेतु जिलाधिकारी/उच्चाधिकारी से पत्राचार किया जा रहा हैं, जैसे ही संबन्धित अधिकारियों से दिशा निर्देश/मार्गदर्शन प्राप्त होते हैं, तदनुसार कार्यवाही कर इस धनराशि का समायोजन कर लिया जाएगा। खंड के उत्तर से स्वंय लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती हैं कि निक्षेप कार्य योजना हेतु प्राप्त धनराशि ` 6.17 लाख वर्ष 2011-12 से कार्य निष्पादित नहीं कराये जाने के कारण अवरुद्ध पड़ी थी तथा लेखापरीक्षा तिथि तक उक्त धनराशि को समर्पित भी नहीं किया जा सका था।

इस प्रकार निक्षेप मद में प्राप्त ` 6.17 लाख की धनराशि विगत 4 वर्षो से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी कार्य का निष्पादन नहीं कर अवरुद्ध रखने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तरः2- यात्रा भत्ता द्वारा कर्माचारियों को अधिक लाभ अनियमित तरीके से दिया जाना।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड राम नगर जिला नैनीताल के यात्रा भत्ता अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि कर्मचारी अपने टी.ए. बिल में लिखित में **No. Claim** दिये जाने के बावजूद अधिक लाभ दिया गया है जो निम्वत है।

Month	claim `	Less by ` 1200 as per norms	Net claim `	Passed for Bill `	Difference `
06/2015	1296	1200	96	96	0
07/2015	1853	1200	653	813	160
08/2015	2477	1200	1277	1477	200
09/2015	2125	1200	925	1085	160
10/2015	2429	1200	1229	1469	240
11/2015	2120	1200	920	1160	240
12/2015	1850	1200	650	970	320
Total	**14150**	**8400**	**5750**	**7070**	**1320**

विभाग से पूछे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि श्री विजय कुमार भट्ट जिलेदार का शासनादेश सं॰ 700/वित्त (व.अ.सा.वि.) दि. 16.09.2015 द्वारा मोटर साईकिल भत्ता ` 1200/- अधीक्षण अभियन्ता नलकूप मण्डल हल्द्वानी के कार्यालय द्वारा सं॰1166/ वाहन भत्ता दि. 23.05.2013 द्वारा इस प्रतिव्यय के साथ स्वीकृत किया गया था कि मोटर साईकिल भत्ते के उपरान्त मासिक भत्ता देय नहीं होगा इस खण्ड का कार्य क्षेत्र नैनीताल , चम्पावत वागेश्वर पिथौरागढ़ होने के कारण जिलेदार को सींच दर्ज करने हेतु अनेक स्थानों पर आना जाना पड़ता है। मासिक भत्ता ` 1200/- से उक्त अभिक्षेत्र मोटर साईकिल से आना जाना संभव नहीं है। इस कार्यालय के पत्रांक 421 दि. 21.03.2013 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता नलकूप मण्डल हल्द्वानी को उपरोक्त परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए पत्र लिखा गया। अधीक्षण अभियन्ता नलकूप खण्ड हल्द्वानी के पत्रांक 965/- न॰ख॰ह॰ दिनांक 29.05.2016 द्वारा यह निर्देशित किया गया कि कार्यक्षेत्र लम्बा होने के कारण देय यात्रा भत्ता ` 1200/- से अधिक हो तो ` 1200/- समायोजित करते हुए शेष धनराशि का भुगतान कर दिया जाए इसी परिप्रेक्ष्य में श्री विजय कुमार भट्ट जिलेदार के यात्रा भत्ता में कटौती की गई। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा claim न की गई धनराशि का भुगतान भी खण्ड द्वारा किया गया था । अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका। उनको नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित करके अलग **कार्यालय अधिशासी अभियंता, नल कूप खंड, रामनगर नैनीताल** को प्रेषित, जिसकी अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/आर्थिक खण्ड, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक-II